न्यायालय— सिविल जज (सी०डि०) तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 78/2013
CIS No. :— TS/78/2013

हसमुद्दीन मियां **बनाम** हरिनारायण यादव

दिनांक—23.02.2021

अभिलेख पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक—17.03.2020 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि आदेश दिनांक—24.01.2019 के अनुपालन में उनके द्वारा वादपत्र में संशोधन समय के अन्दर अंकित नहीं किया जा सका है। इसलिए अब संशोधन करने की अनुमति की याचना की गयी है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वादी द्वारा संशोधन करने में यद्यपि विलम्ब किया गया है, परन्तु अब वह संशोधन करने हेतु तैयार है। अतः मात्र विलम्ब के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। न्यायहित में विलम्ब माफ कर प्रार्थना पत्र दिनांक—17.03.2020 हर्जे के साथ स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांक—17.03.2020 मु० 300/—रू० हर्जे के साथ स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांकित—24.01.2019 के अनुपालन में संशोधन अन्दर सप्ताह अंकित किया जाये।

अभिलेख वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक—06.03.2021 को पेश हो।

अवर न्यायाधीश तृतीय (सी०डि०)
न्यायालय कक्ष—4, नरकटियागंज